

15-2-22

पत्रावली पेग हुई) वकील डा. श्री (उपस्थित) वकील डा. श्री
ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि न्यायालय ने न्याय
आदेश दिनांक 14-9-21 में भूमि की बिक्री जालगाह क्षेत्र
की वजह से डा. श्री का अधिन पत्र 251 क लाइज का दिया
गया था जबकि राज्य रिकार्ड में चाहे गई रास्ते की
भूमि जो हुमकिन पहाड़ पर है। पत्रावली का दृष्टान्तपूर्व
निवेदन किया गया। अमावसी में 15-2-22 की बिक्री
जो हुमकिन पहाड़ पर है। जो हुमकिन पहाड़ में है
रास्ता दिया गया इस न्यायालय के न्यायिक में
नहीं है। तदनुसार उदयपुरवादी को निर्दिष्ट किया
जाता है कि जो हुमकिन पहाड़ में लकुल हुमकिन
डा. श्री द्वारा चाहे गए रास्ते के संबंध में प्रस्ताव
बनाकर लकुल न्यायाधीश के समक्ष पेग कर पत्रावली
केवल हुमकिन क्षेत्र में कर दायरे में लाकर
दिया है।

